रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 1984/फाल्गुन 29, 1905
No. 76] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 1984/PHALGUNA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

अधिसूचना

सं० 86/84-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 219 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 1984/फाल्गुन 29, 1905
No. 76] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 1984/PHALGUNA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

अधिसूचना

सं० 86/84-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 219 (अ) — केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की

अधिसूचना सं० 13-सीमाशुल्क तारीख 9 फरवरी, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

1	2
"4.	मशीनरी के फालतू पुर्जे ।
5.	खपने वाली सामग्री ।
6.	सामग्री की उठाई-धराई करने वाले उपस्कर जैसे फोर्कलिफ्ट और शिरोपरि क्रेन ।
7.	नमूने और मूलाकृति जो नमूने के प्रत्येक प्रकार के दो से अधिक न हों ।
8.	रेखाचित्र, ब्ल्यूप्रिंट, तकनीकी नक्शे और चार्ट ।"

[फा० सं० 370/36/84-सीमा शुल्क-1]

राजेन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th March, 1984

NOTIFICATION

No. 86/84-CUSTOMS

G.S.R. 219 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Minisrty of Finance, Department of Revenue, No. 13-Customs, dated the 9th February, 1981, namely :

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)
"4.	Spare parts of machinery.
5.	Consumables.
6.	Materials handling equipments such as forklifts and overhead cranes.
7.	Samples and prototypes not exceeding two in number of each type of sample.
8.	Drawings, blue prints, technical maps and charts."

[F. No. 370/36/84-CUS-I]

RAJENDRA PRAKASH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984